प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौदह'

परिशिष्ट–एक [30/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 6690]

विधानसभा अतारां. प्रश्न क्र. 6 ... दिनांक 30.03.2017

अध्यापक संवर्ग को अद्यतन दी गई सुविधाऍं निम्नलिखित अनुसार हैः–

1. वरिष्ठता सूची का संधरण के संबंध में पंचायत विभाग द्वारा दिनांक 27.11.2009 एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2009 को समुचित आदेश प्रसारित कर दिये गये है।
2. अध्यापक संवर्ग के निःशक्त अध्यापकों को विकलांग वाहन भत्ता दिये जाने के संबंध में म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2009 को आदेश जारी किये गये है।
3. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ–1–53/2009/20–1, दिनांक 22.07.2010 द्वारा 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत कमोन्नति का लाभ दिया गया है।
4. अध्यापक संवर्ग को नियमित शिक्षकों के समान अवकाश सुविधा का लाभ नियम 2008 के नियम–08 के अप नियम– (ख) एवं संचालनालय के आदेश दिनांक 17.05.2010 अनुसार निर्देश दिये गये है।
5. शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल में संस्था प्रमुख का चालू प्रभार सौपने संबंधी संचालनालय के आदेश कमांक 123, दिनांक 06.02.2008 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
6. अध्यापक संवर्ग को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के संबंध में पंचायत विभाग के आदेश कमांक 2–11/05/22/पं/दिनांक 01.04.2010 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
7. शैक्षणिक अर्हता नहीं रखने वाले प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति के बदले एक मुश्त राशि रूपये 1.00 (एक लाख) दिये जाने के संबंध में आदेश कमांक एफ–1–23/2010/20–1, दिनांक 23.6.2010 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
8. अध्यापक संवर्ग एवं संविदा शाला शिक्षकों को अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ–1–54/2009/20–1, दिनांक 13.10.2009 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
9. ग्रीन कार्ड धारक अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–55/2009/20–1, दिनांक 13.10.2009 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
10. अध्यापक संवर्ग की सेवा–पुस्तिका के संधारण के संबंध में म.प्र. शासन पंचायत विभाग के आदेश कमांक एफ 2–11/2005/22/पं/दिनांक 01.4.2010 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
11. जुलाई 2011 तक शिक्षण–प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग में वरियता सुरक्षित रखने के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–101/2008/20–1, दिनांक 08.10.2008 द्वारा आदेश जारी किये गये है।

निरन्तर–2

12. नियम 2001 तथा संशाधित नियम 2003 के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –3 को बी.एड./डी.एड. विशेष शिक्षा उपाधि/पत्रोपाधि धारित करने पर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ–1–29/2009/20–1, दिनांक 15.07.2010 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
13. स्वयं के व्यय पर शिक्षण–प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले संविदा शाला शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने तथा संविदा शाला शिक्षकों के नवीनीकरण के संबध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–34/2010/20–1, दिनांक 28.07.2010 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
14. अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये गये शिक्षाकर्मी वर्ग–3 (प्रयोगशाला सहायक) एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –3 (प्रयोगशाला सहायक) को शिक्षण–प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–28/2010/20–1, दिनांक 08.07.2010 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
15. अध्यापक संवर्ग को यात्रा भत्ता दिये जाने के संबध में म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–52/2009/20–1, दिनांक 30.09.2009 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
16. अध्यापक संवर्ग की प्रतिनियुक्ति के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–45/2010/20–1, दिनांक 30.08.2010 द्वारा आदेश जारी किये गये है।
17. अध्यापक संवर्ग अंतर्गत महिला, विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अंतर निकाय संविलियन हेतु ऑनलाईन प्रकिया के आदेश वर्ष 2017–18 के लिये आदेश जारी करने की प्रकिया प्रचलन में है।
18. अध्यापक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1–16/2009/20–1, दिनांक 25.05.2011 को आदेश जारी किये गये है।
19. महिला अध्यापक संवर्ग को नियमित महिला शिक्षकों के समान मातृत्व अवकाश 180 दिवस की सुविधा दी जाती है।
20. अध्यापक संवर्ग के लिये छठवें वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से दिये जाने के आदेश दिनांक 15.10.2016 को जारी किये गये है।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल